न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 295/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/489

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1.कुमारपाल पुत्र पृथ्वीराज
2.सोहनलाल संकलेचा पुत्र पृथ्वीराज जाति ओसवाल
निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.इन्द्रकुमार पुत्र मूलचन्द जाति राजपूत निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
2.ओमसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति राजपूत निवासी खण्ड़प
3.ओमसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी बालोतरा
4.घनश्याम पुत्र मन्तरलाल जाति सोनी निवासी जसोल
5.चैनसिंह पुत्र कुम्पसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना
6.जितेन्द्र पुत्र जगदीश कुमार जोशी निवासी रबारियों का टांका, बालोतरा
7.जीवराजसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी खण्ड़प
8.जोमतसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी खण्ड़प
9.दिवालीदेवी पत्नि शंकरलाल जाति दर्जी निवासी बालोतरा
10.नेमसिंह पुत्र तुलछसिंह जाति राजपूत निवासी सिणधरी
11.नरेन्द्र पुत्र मलूकचंद जाति ओसवाल निवासी जसोल
12.पूजा पत्नि प्रकाश जाति सोनी निवासी बालोतरा
13.भैराराम पुत्र भैयाराम जाति चौधरी निवासी चिमनासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

14.भावेशकुमार पुत्र जयन्तीलाल

15.मुकेश पुत्र रामगोपाल

जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा

16.मधूदेवी पत्नि जितेन्द्रकुमार

17.मनीषकुमार पुत्र नारायणप्रसाद

18.मनीष पुत्र सीयाराम

जाति ब्राहमण निवासी बालोतरा

19.ममतादेवी पत्नि जयनारायण

जाति संत निवासी जसोल

20.महेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल

जाति संत निवासी जसोल

21.महेश पुत्र महावीरप्रसाद

जाति जैन निवासी बालोतरा

22.मीनादेवी पत्नि केवलदास जाति संत

23.लच्छाराम पुत्र नाथाराम

जाति चौधरी निवासी मेवानगर

24.वासुदेव पुत्र मूलचन्दबसराणी

जाति सिन्धी

25.विपिनपाल पुत्र हरीप्रसाद

जाति श्रीमाली निवासी बालोतरा

26.शैतानसिंह पुत्र कानसिंह

जाति राजपूत निवासी खण्ड़प

27.शैतानसिंह पुत्र सांवलसिंह

जाति राजपूत निवासी खण्ड़प

28.सुशीलकुमार पुत्र बालेवरनाथ

29.हड़मतसिंह पुत्र जीवराजसिंह

30.हुलास पुत्र राजेन्द्र जाति कुम्हार निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

31.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा व जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 295/2025
कुमारपाल बनाम इन्द्रकुमार वगैरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 28.1.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196 क्षेत्रफल 1.4892 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196 क्षेत्रफल 1.4892 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तामीली दैनिक अखबार मे नोटिस छायाकंन करवाए गए। विप्रार्थीगण की तामीली सम्यक होने के उपरात भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196 क्षेत्रफल 1.4892 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196 क्षेत्रफल 1.4892 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196 क्षेत्रफल 1.4892 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.08.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 196 क्षेत्रफल 1.4892 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

28/01/2026
(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/01/2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा